

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:- 25.06.2021

जनपद बस्ती

थाना सोनहा जनपद बस्ती पुलिस द्वारा थाना सोनहा अन्तर्गत ग्राम खैरा मे हुई हत्या में दो अभियुक्तों व एक अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री दीपेंद्र नाथ चौधरी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी रूधौली श्री धनंजय सिंह कुशवाहा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सोनहा रामकृष्ण मिश्र मय पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक:-25.06.2021 को थाना सोनहा जनपद बस्ती पर पंजीकृत मु0अ0सं0 धारा 34, 302, 201,120(B) IPC से सम्बंधित वांछित 02 अभियुक्तों व 01 महिला अभियुक्ता को दुबौली चौराहे से समय करीब 05:00 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय बस्ती रवाना किया गया |

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. अरविन्द निषाद उर्फ सुदामा उर्फ छोटू पुत्र रामगोपाल निवासी ग्राम पठान टोला थाना पुरानी बस्ती
जनपद बस्ती |
2. राहुल निषाद पुत्र इन्द्रदेव निषाद निवासी ग्राम पठान टोला थाना पुरानी बस्ती
जनपद बस्ती |
3. एक महिला अभियुक्ता निवासी ग्राम पठान टोला थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती |

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद आला कत्ल बाका व सिमकार्ड |
2. मोटरसाइकिल गाड़ी नबम्बर UP 51 AZ 4616 (घटना में प्रयुक्त) |
3. अभियुक्त अरविन्द का पहना हुआ शर्ट खून लगा हुआ |

घटना का संछिप्त विवरण:-

दिनांक 23.06.2021 को पतिराम मिश्रा पुत्र रामहित निवासी ग्राम करौता उर्फ करनपुर थाना सोनहा जनपद बस्ती द्वारा थाना सोनहा जनपद बस्ती पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे भाई बलराम निषाद पुत्र रामहित के पास मात्र एक लड़की है जिसकी शादी 30 नवम्बर 2020 को अरविन्द निषाद पुत्र रामगोपाल निवासी ग्राम पठान टोला थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती के साथ हुई थी। दिनांक 21.06.2021 को अरविन्द निषाद के पिता बलिराम के ससुराल में बलिराम के साले के लड़की की शादी थी जिसमें दो-तीन दिन पहले से मेरे भाई की पत्नी गयी थी तथा मेरा भाई बलिराम व उसका दामाद अरविन्द निषाद तथा भाई की लड़की भी गयी थी और वहाँ मैं भी शादी में गया था जहाँ से करीब 21.00 बजे रात्रि को निमंत्रण देकर घर वापस चला आया। लड़की के जयमाल के समय रात्रि करीब 01.00 बजे तक मेरा भाई शादी में मौजूद थे जो कि उसके बाद अपनी मोटर साइकिल जो कन्हैया के नाम से है जिसका गाड़ी नं० UP 51 AZ 4616 से घर वापस आ रहे थे। दिनांक 22.06.2021 को सुबह करीब 06.00 बजे मेरे भाई बलिराम के मरने की सूचना मिली तो हम लोग भानपुर से रुधौली जाने वाले रोड पर ग्राम खैरा पुलिया के पास गये तो देखे कि मेरा भाई मोटर साइकिल पर मृत अवस्था में था जिसके सर में चोट लगी थी।

जिसके सम्बन्ध में थाना सोनहा जनपद बस्ती पर मु०अ०सं० 137/2021 धारा 302 IPC पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ करने पर अभियुक्त अरविन्द निषाद उर्फ सुदामा उर्फ छोटू पुत्र रामगोपाल द्वारा बताया गया कि मृतक बलिराम का अपनी पत्नी से मधुर सम्बन्ध न होने के कारण उसकी पत्नी लगभग 18 वर्ष तक अपने मायके में रही जिसके बाद वह अपनी पत्नी को घर लेकर आया जिसके बाद भी दोनों के बीच सम्बन्ध अच्छे नहीं थे। बलिराम का मधुर सम्बन्ध अपने भाई श्रीराम जिसकी मृत्यु हो चुकी है की पत्नी व बच्चों से था जिनके पास वह रहता व खाता-पीता था। वह हम लोगों से भी अच्छा सम्बन्ध नहीं रखता था और हम लोग चाहते थे कि उसकी जमीन जायदाद हम लोगों को मिल जाये लेकिन बलिराम देने के लिए तैयार नहीं था, जिससे हम लोगों को विश्वास हो गया कि

वह अपनी सम्पत्ति हम लोगो को न देकर अपने भाई को दे देगा जिसके कारण हम लोगो ने बलिराम को मारने की योजना बनायी व दिनांक 21.06.2021 को मेरी पत्नी के ननिहाल मे मामा की लड़की की शादी मे बिना कार्ड दिये ही सम्मलित हुए जहाँ मेरी पत्नी के पिता बलिराम भी मौजूद थे । लड़की के जयमाल होने के बाद जब बलिराम अपनी मोटर साइकिल से घर जा रहा था तो पूर्व योजना के अनुसार मै और मेरा मित्र राहुल निषाद मोटर साइकिल से बलिराम का पीछा किये और भानपुर से रुधौली जाने वाले रोड पर खैरा पुलिया के पास सुनसान स्थान देखकर उसके सिर पर बाका से प्रहार कर हत्या कर दिये ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1. प्र0नि0 सोनहा रामकृष्ण मिश्र थाना सोनहा जनपद बस्ती ।**
- 2. व0उ0नि0 उमाशंकर त्रिपाठी थाना सोनहा जनपद बस्ती ।**
- 3. उ0नि0 एखलाख अहमद थाना सोनहा जनपद बस्ती ।**
- 4. का0 विनय कुमार कनौजिया थाना सोनहा जनपद बस्ती ।**
- 5. का0 विवेक कुमार यादव थाना सोनहा जनपद बस्ती ।**
- 6. रि0का0 शुभम दूबे थाना सोनहा जनपद बस्ती ।**
- 7. म0का0 अनिता यादव थाना सोनहा जनपद बस्ती ।**